न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः–13 / 2024 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड़, राजस्थान रोड़वेज डिपो के सामने, बंसल डेंटल क्लीनिक के ऊपर शिव चौंक, श्रीगंगानगर जरिये– राहुल सिंह राठौड पुत्र श्री शिवदान सिंह राठौड़, पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड।

––प्रार्थी

बनाम

1. सुभाष चन्द्र पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी 422, वार्ड नं.5, नजदीक रामदेव मंदिर, हनुमानगढ़ पिन–338063।

––मूल ऋणी / बंधककर्त्ता

2. श्रीमती अंजू देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द्र, निवासी 422, वार्ड नं.5, नजदीक रामदेव मंदिर, भाखरांवाली, 4 एस टी पी, संगरिया जिला हनुमानगढ पिन– 338063।

––सह ऋणी

3. प्रेम कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज, निवासी मकान नं.82–के, चेतनदास की कुटिया के पास, भाखरांवाली, 4 एस टी पी, संगरिया जिला हनुमानगढ।

––गारण्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

<u>आदेश</u> दिनांकः–03.06.2024

प्रार्थी कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.09.2021 को 'लोन एग्रीमेन्ट' संख्या 0000115432/R1 के तहत 13,24,530 / –रूपये का ऋण प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी से लिया था। पट्टा नं. 74, भाखरांवाली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ साईज 70 इन्टु 40 फुट (2800 सक्वायर फुट) जो कि सुभाष चन्द्र पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी 422, वार्ड नं. 5, नजदीक रामदेव मंदिर, हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त आवासीय भूखण्ड का अप्रार्थी सुभाष चन्द्र एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी के पास रहन / बंधक / आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 05.02.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 20,70,474 / –रूपये (अखरे बीस लाख सत्तर हजार चार सौ चुहत्तर रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 27.01.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी ने दिनांक 27.01.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 04.02.2023 को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी फाईनेंस के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी के पास रहन रखी सम्पत्ति–**सुभाष चन्द्र पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी 422, वार्ड नं. 5, नजदीक रामदेव मंदिर, हनुमानगढ़ की सम्पत्ति– पट्टा नं. 74, भाखरांवाली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ साईज 70 इन्टु 40 फुट (2800 सक्वायर फुट)** जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़